न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 44/2017

पंजीयन दिनांकः 30.11.2017

अलीशेर पिता रूस्तम खां जाति मूसलमान निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलान्ट

बनाम

1. शंकर पिता भेरा जाति डांगी निवासी ओरवाडिया तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
2. मन्ना उर्फ मोहन पिता हेमा जाति डांगी निवासी ओरवाडिया तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
3. भोखर पिता हेमा जाति डांगी निवासी ओरवाडिया तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
4. भोला पिता हेमा जाति डांगी निवासी ओरवाडिया तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
5. तहसीलदार बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी प्रकरण संख्या 66/2017 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.11.2017

उपस्थित वक्त बहसः1. छोगालाल जाट – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. सावन श्रीमाली-रेस्पोडेन्ट 1 से 4
3. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 5

निर्णय **दिनांक 29.06.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 प्रार्थीगण ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 5 विपक्षी के विरूद्ध एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा निकुम्भ तहसील बडीसादडी की खाता सं. नई 1 पुरानी 662/1 मे आराजी नम्बर 3891 रकबा 0.08 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 3891 के पुराने आराजी नम्बर 1078/35, 1078/37 थे। आराजी नम्बर 3891

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रास्ता तहसीलदार बडीसादडी के आदेश दिनांक 07.01.1972 की पालना मे पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल नम्बर 850 खोला जाकर आराजी नम्बर 1077/35 पर लागू होना था लेकिन राजस्व अधिकारियो की भूल से उक्त रास्ता आराजी नम्बर 1078/35 जिसके नये आराजी नम्बर 3891 है पर नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर दिया गया। उक्त रास्ता रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 3889, आराजी नम्बर 3894, आराजी नम्बर 3893, आराजी नम्बर 3895, आराजी नम्बर 3896, 3897 के मध्य आता है। वर्तमान सेटलमेन्ट के पूर्व के नक्शे मे उक्त आराजी के पास व बीच मे कोई रास्ता कायम नही था। उपरोक्त आराजी के पश्चिम पडौस मे नहर है। नहर को क्रोस करते हुए कोई रास्ता अंकित नही है। उक्त रास्ता नवीन सेटलमेन्ट से पूर्व आराजी नम्बर 1077/35 पर था। उसे सहवन से 1078/35 पर दर्शा दिया गया है जिससे इन्द्राज दुरस्ती कराते हुए आराजी नम्बर 1077/35 पर दर्शाया जाकर राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस मे दुरस्ती कराई जावे। वर्तमान सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 प्रार्थीगण की आराजीयात के पास कोई रास्ता नही है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण की आराजीयात के पुराने आराजी नम्बर 1078 के टुकडे हुए। रास्ते का नम्बर 1078 का टुकडा है जो दोनो एक दुसरे से भी दुर-दुर है। वर्तमान मे हुए सेटलमेन्ट मे सेटलमेन्ट अधिकारियो ने रेस्पोडेन्ट प्रार्थी की खातेदारी की आराजी नम्बर 3889,3893,3896 के बीच मे आराजी नम्बर 3891 किस्म रास्ते को दर्शा दिया है जिसे संशोधित कर इन्द्राज दुरस्ती किया जाना उचित है।

उक्त इन्द्राज दुरस्ती प्रार्थना पत्र के साथ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 रेस्पोडेन्ट सं. 5 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। इन्द्राज दुरस्ती के प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने बिना रेस्पोडेन्ट सं. 5 की तामील हुए अपीलान्ट को पक्षकार मुकदमा बनाये दिनांक 17.11.2017 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी जाकर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई।

अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश जो अपीलान्ट प्रार्थी को पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर रेस्पोडेन्ट सं. 5 के विरुद्ध जारी की गई। उक्त निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की। इस न्यायालय मे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण 1 से 4 व 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 प्रार्थीगण की ओर से अपीलान्ट को पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर रेस्पोडेन्ट सं. 5 के विरुद्ध गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विवादित कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 1078/35 जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रास्ते की भूमि है। इसी रास्ते अपीलान्ट अपनी आराजीयात पर आता-जाता है। फिर भी अपीलान्ट को पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 का स्वीकार किये जाने का आदेश व निर्णय पारित किया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दिवानी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान कराई जावे। विवादित निर्णय व आदेश निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रार्थी ने दिनांक 17.11.2017 को पारित अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील पोषनीय नही है। अपीलान्ट अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा नही था। अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु प्रार्थनापत्र धारा 96 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दिवानी के सम्बन्ध मे ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया कि जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त आराजीयात मे होकर अपनी आराजीयात पर आता-जाता हो। अपीलान्ट ने स्वंय के खाते की नकल व नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत नही किया है जिससे अपीलान्ट प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट सं. 5 के विरूद्ध स्वीकार किया है। अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गई है। जिससे अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय व आदेश को विधिविरूद्ध होना बताते हुए अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा नही रहा है, न ही प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे मूल प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 मे पक्षकार मुकदमा बनने का कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया है न ही अपील के साथ ऐसे आवेदन की प्रमाणित प्रति ही प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति के प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र मे समर्थन मे ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह माना जा सके कि विवादित रास्ते से अपीलान्ट प्रार्थी अपने खातेदारी की आराजीयात मे आते-जाते हो और यही रास्ता अपने खातेदारी की आराजीयात मे आने-जाने का हो। दस्तावेजो के अभाव मे व मूल प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी के द्वारा पक्षकार मुकदमा नही होने से प्रार्थी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पत्र धारा 96 जाप्ता दिवानी स्वीकार योग्य नही है। अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दिवानी स्वीकार योग्य नही होने से उक्त अपील मे गुणावगुण पर विश्लेषण किये बगैर अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दिवानी पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रार्थी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी प्रकरण संख्या 66/2017 निर्णय व आदेश दिनांक 17.11.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)